

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर.

साहिल पंवार व अन्य बनाम सतपाल व अन्य

विविध प्रार्थना संख्या 2023/005

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
07.02.2023	<p>वकील प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस अधिवक्ता, शपथ-पत्र एवं सलग्न दस्तावेजात के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि उभयपक्ष प्रश्नगत आराजी चक 4 डी बड़ी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर, पटवार हल्का दुल्लापुर कैरी, भू0अ0नि0 क्षेत्र शिवपुर के मुरब्बा नं0 8, किला नं0 1, 2, 3, 4, 5 में कुल 1.054 हैक्टे0 कृषि भूमि में से प्रार्थीगण के 3/4 हिस्सा में आगामी तारीख पेशी तक रहन, बैय न करे एवं अन्य किसी तरीके से मुन्तकिल करने से बाज व ममनू रहें। इस संबंध में कोई उज्र/ऐतराज हो तो वकालतन/ असलतन आगामी तारीख पेशी तक पेश करे। वकील प्रार्थीगण रजिस्टर्ड ए.डी. से तामील करवाकर 07 दिवस में रसीदें पेश करे। इसके अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अप्रार्थीगण के नाम से रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 03 मार्च 2023 को पेश हो।</p> <p><i>Eikun</i></p>	
3/3/23	<p>आज बार सचन कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/3/23 को पेश हो।</p>	
29.3.23	<p>आज पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासक है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25.3.23 को पेश हो।</p>	
28/4/23	<p>आज पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासक है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/4/23 को पेश हो।</p>	
19/5/23	<p>आज पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासक है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12/5/23 को पेश हो।</p>	



